विविध बैंक प्रकरण संख्या 30/2021(GCMS : 2021/97) पंजाब नेशनल बैंक जरिये श्री निशान्त खुराना, प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक, कार्यलय SASTRA केन्द्र, प्रथम तल, मण्डल कार्यलय, नजदीक मीरा चौक, श्रीगंगानगर **बनाम श्री सोम चंद पुत्र श्री नत्थू राम** (मैसर्स शिव किरयाना एवं जनरल स्टोर जरिये प्रोपराईटर श्री सोम चंद पुत्र श्री नत्थू राम) निवासी चक 23 बीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

02.03.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक की ओर से श्री मंगतराम, अधिवक्ता उपस्थित हुए और निवेदन किया कि प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक ने अप्रार्थी सोमचंद पुत्र नत्थूराम (मैसर्स शिव किरयाना एवं जनरल स्टोर) द्वारा बैंक के ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण उनके द्वारा बैंक ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी सोमचंद द्वारा बंधक रखी गई आवासीय सम्पत्ति प्लॉट नं. 201(भाग उत्तरी कॉर्नर)(क्षेत्रफल 2000 वर्गफुट), वार्ड नं. 8, चक 23 बीबी (बेरां) तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिए धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 12.07.2021 को प्रस्तुत कर रखा है और अब चूंकि अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा प्रार्थी बैंक की बकाया समस्त राशि जमा करवा दी है इसलिए प्रार्थी बैंक ऋणियों के विरूद्ध इस प्रकरण में किसी प्रकार की आगे कोई कार्यवाई नहीं चाहता है **अर्थात नॉट प्रैस करता है और अगर इस** प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाई समाप्त कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैने उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 12.07.2021 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक, श्रीगंगानगर के द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थी सोमचंद पुत्र श्री नत्थू राम के विरूद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी सोमचंद द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:51:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

कब्जा रखी गई आवासीय सम्पत्ति प्लॉट नं. 201(भाग उत्तरी कॉर्नर)(क्षेत्रफल 2000 वर्गफुट), वार्ड नं. 8, चक 23 बीबी (बेरां) तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और **अब चूंकि प्रार्थी बैंक इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इस आशय का लिखित पत्र भी प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने पूर्व में पेश किया हुआ है, जो पत्रावली में उपलब्ध है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक, श्रीगंगानगर द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाखि़ल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 02.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:31:23 IST
Reason: SelfAttested